राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–176/2015

बाबुलाल वर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) निदेशालय, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.09.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि आदेश दिनांक 03.10.2013 के द्वारा अपीलार्थी को अस्थाई आधार पर संयुक्त निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। इसके पश्चात दिनांक 20.10.2014 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर उप निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी) के पद से संयुक्त निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर वर्ष 2014–15 में 1 अप्रेल, 2014 को उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध चयन के उपरांत पदोन्नति का आदेश पारित किया, जिसमें दस व्यक्तियों को पदोन्नत दी गई, परंतु अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई। इस कारण से अपीलार्थी के वेतन में संशोधन किया गया और यह भी आदेश पारित किया गया कि दिनांक 01.04.2014 से किये गये अधिक वेतन भुगतान की वसुली की जावे। अपीलार्थी ने वसुली किये जाने के आदेश दिनांक 08.01.2015 को इस अधिकरण में चुनौती दी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि कृषि विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 3–10–2013 द्वारा पूर्णतः अस्थाई आधार पर संयुक्त निर्देशक कृषि (अभियांत्रिकी) के पद पर पूर्णतः अस्थाई आधार पर 6 माह के लिए कमोन्नत किया गया था यथा की पालना में इस विभाग के आदेश दिनांक 8–11–2013 द्वारा अपीलार्थी को वेतन नियत किया गया था, परन्तु कृषि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20–10–2014 में अपीलार्थी का चयन संयुक्त निदेशक के पद पर

नहीं होने के फलस्वरूप अपीलार्थी का दिनांक 4–4–2014 से संशोधित वेतन नियत किया गया तथा दिनांक 4–4–2014 से अधिक किये गये भुगतान की वसूली का आदेश दिनांक 8–1–2015 जारी किया गया। उक्त वसूली आदेश पूर्णतः कृषि विभाग (संवर्ग नियंत्रक) के आदेश दिनांक 20–10–2014 की पालना में जारी किया गया जो कि पूर्णतः वैध एवं उचित है क्योंकि अपीलार्थी ने दिनांक 3–10–2013 के अनुसार पूर्णतया आवश्यक अस्थाई आधार पर संयुक्त निदेशक पद पर कार्य किया है। उक्त आदेश में स्पष्ट वर्णित है कि अपीलार्थी को पदावनत किया जा सकेगा तथा उक्त आदेश 6 माह की अवधि के लिए था। उसके पश्चात् उक्त पदोन्नति आदेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फलस्वरूप उक्त वसूली आदेश उचित एवं वैध है तथा अपीलार्थी के प्रकरण का सक्षम स्तर वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा परिक्षणोपरान्त यह निर्णय दिया गया कि विभागीय वसूली आदेश दिनांक 8–1–2015 पूर्णतः नियमानुसार सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी आदेश है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है।

3. हमनें दोनों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मूल रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी को अस्थाई रूप पदोन्नत किया गया था और उच्च पद पर अपीलार्थी ने सेवाएं दी है। ऐसे में अपीलार्थी को बाद में उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किये जाने के कारण उच्च पद की सेवाओं के विरूद्ध उच्च पद का वेतन, जो अपीलार्थी ने प्राप्त किया था, वह अपीलार्थी से वसुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलार्थी ने उच्च पद पर कार्य अस्थाई रूप से पदोन्नति पश्चात किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को उच्च पद का वेतन दिये जाने में अपीलार्थी का कोई दोष नहीं है, अपीलार्थी का कोई miss representation नहीं रहा है, ऐसे में अपीलार्थी से वसुली किया जाना उचित नहीं है।

4. हमारे मत में अपीलार्थी व अन्य व्यक्तियों को आदेश दिनांक 03.10.2013 के द्वारा विभागीय आदेश से अस्थाई रूप से पदोन्नति प्रदान की गई थी। जिस आदेश के आधार पर अपीलार्थी पदोन्नति पद पर आसीन हुआ था और उसने पदोन्नति पद पर कार्य किया था। जिस कारण अपीलार्थी को पदोन्नति पद का वेतन दिया गया था। ऐसे में equal pay for equal work के सिद्धांत आधार पर अपीलार्थी से वसुली किया जाना उचित नहीं

है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण अशोक कुमार सोनी बनाम राजस्थान राज्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 21799/2018) निर्णय दिनांक 10.09.2020 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :–

> *Now the basis on which the petitioner was reverted was only the incompetency of the concerned officer who had issued orders of promotion. If the said discrepancy would have been detected in time, the controversy regarding recovery would not have come at all. However this court finds that the petitioner has continuously performed his duties as UDC right from 23.12.1994 upto 27.3.2004 and if the principle of equal pay for equal work is applied then the petitioner who had performed duties on the higher post would be entitled to get salary for working upto the time on the higher post. Later on, the petitioner has already been promoted in 2009 on regular basis and he has been drawing salary of UDC thereafter. The recovery therefore for the period during which the petitioner had worked as UDC, though by orders which were passed by incompetent authority, is held to be unjustified. The respondents could not have made recoveries of salary from a person who has actually performed duties on higher post.*

5. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत को दृष्टिगत रखते हुए हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी ने उच्च पद पर कार्य किया है। ऐसे में अपीलार्थी से वसुली किया जाना उचित नहीं है। अतः यह अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी से उसके द्वारा उच्च पद पर कार्य किये जाने की अवधि का अपीलार्थी को दिया गया उच्च पद का वेतन अपीलार्थी से वसुल नहीं किया जावे। यदि कोई वसुली इस संबंध में अपीलार्थी से की गई है तो उसे अपीलार्थी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ वापस लौटाई जायें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)